डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)

पत्रांक : लो0अ0वि0/कु.स.का./2020-624 दिनांक: 22 अक्टूबर, 2020

सेवा में,

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/प्रभारी, आवासीय परिसर।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या से सम्बद्ध महाविद्यालय।

विषयः महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा व स्वावलम्बन एवं स्वावलम्बन के लिए विशेष जागरूकता के लिये विशेष अभियान संचालित किए के सम्बन्ध में।

महोदय /महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 5195/सत्तर-3-2020-08(35)/2020, दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 981/6-पु-15-2020, दिनांक 20.10.2020 की संलग्न छायाप्रति का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा व सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिये विशेष जागरूकता अभियान संचालित किये जाने के सम्बन्ध में कतिपय दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिये विशेष अभियान चलाने जाने एवं तदोपरान्त अन्य कार्यक्रम आयोजित किये जाने के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 20.10.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नकः यथोपरि।

(उमानाथ)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समन्वयक, महिला शिकायत एवं कल्याण प्रकोष्ठ।
2. वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक/उपकुलसचिव।
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण।
4. कुलानुशासक।
5. प्रोग्रामर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को महाविद्यालयों की कालेज-लागिन तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. मीडिया प्रभारी।
7. समस्त प्रशासनिक अधिकारी/प्रधान सहायक/प्रभारी।
8. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
9. पत्रावली।

(उमानाथ)
कुलसचिव

Scanned with CamScanner

शीर्ष प्राथमिकता
संख्या– 5195/सत्तर–3–2020–08(35)/2020

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1836
22/10/2020

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त**
उत्तर प्रदेश।

2. **समस्त जिलाधिकारी**
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 21 अक्टूबर, 2020**

विषयः–प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा व सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए विशेष जागरूकता अभियान संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के संलग्न पत्र दिनांक 20.10.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा व सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए विशेष जागरूकता अभियान संचालित किये जाने के सम्बन्ध में कतिपय दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए विशेष अभियान चलाये जाने एवं तदोपरान्त अन्य कार्यक्रम आयोजित किये जाने के लिए गये निर्णय के अनुरूप कार्य योजना निर्धारित करते हुए उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के पत्र संख्या–5120/सत्तर–3–2020–8 (51)/2020, दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 एवं पत्र संख्या–5128 सत्तर–3–2020–8 (51)/2020, दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 द्वारा सभी सम्बन्धितों को अनुपालन करने के निदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त पत्रों की प्रतियां संलग्न कर इस निर्देश सहित प्रेषित है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 20.10.2020 में दिये गये निर्देशों के आलोक में अनुपालन हेतु सभी सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करते हुए अनुपालन सुनिश्ति कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीया

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 5195(1)/सत्तर–3–2020, तद्‌दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश सहित प्रेषित कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के उक्त पत्र में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के कम में सम्बन्धित जिले के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

Scanned with CamScanner

महत्वपूर्ण / समयबध्द

संख्या- 981 /6-पु-15-2020

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- **अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव,**
बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण/ महिला कल्याण /महिला एवं बाल विकास/ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग/युवा कल्याण/ कृषि / चिकित्सा शिक्षा/ औद्योगिक विकास/ ग्रामीण विकास/ श्रम/ पंचायतीराज/ सूचना विभाग परिवहन विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/ न्याय/समाज कल्याण विभाग/संस्कृति/पशुपालन एवं दुग्ध विकास।

2- **पुलिस महानिदेशक,**
उ0प्र0 लखनऊ।

3- **अपर पुलिस महानिदेशक,**
बाल एवं सुरक्षा संगठन/ अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ

4- **समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0**
(जनपद बुलन्दशहर, देवरिया, कानपुर नगर, उन्नाव, जैनपुर, फिरोजाबाद को छोड़कर)

5- **पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर, लखनऊ/समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।**

गृह (पुलिस) अनुभाग-15 **लखनऊः दिनांकः 20 अक्टूबर, 2020**

विषयः- **<u>प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा व सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए विशेष जागरूकता अभियान संचालित किये जाने के संबंध में।</u>**

महोदय,

उपरोक्त के संबंध में आप अवगत हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 17.10.2020 से प्रारम्भ होने वाले शारदीय नवरात्रि पर प्रदेश में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन अभियान चलाया जा रहा है, उक्त अभियान के अंतर्गत विभिन्न विभागों को अपने-अपने विभाग से संबंधित महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और स्वावलम्बन के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जनपदों में इस दौरान विशेष कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिये गये हैं, इस संबंध में शासनादेश संख्या 957/6-पु-15-2020 दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 जारी किया गया है, जिसमें समुचित निर्देशों का समावेश किया गया है।

Scanned with CamScanner

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अधीन यह सुनिश्चित किया जाये कि इस अभियान के माध्यम से सरकार अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुँच सके तथा उन्हें उनकी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के बारे में चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी दी जा सके। इस अभियान के अन्तर्गत जहां-जहां लाभार्थियों का चयन कर उन्हें लाभ प्रदान किये जाने हैं, ऐसे लाभार्थियों का चयन कर उन्हें लाभान्वित किया जाय। उक्त विशेष अभियान के संचालन हेतु शासन की कार्ययोजना/ दिशा-निर्देश निम्नवत हैं-:

(1) प्रत्येक जनपद के विकास भवन कार्यालय तथा तहसील/थाना कार्यालयों में एक महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। उक्त डेस्क पर शासन की महिलाओं/ बालिकाओं संबंधी समस्त कार्यक्रमों की जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी तथा एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें महिलाओं/बालिकाओं से संबंधित कार्यक्रमों का लाभ उठाने की इच्छुक महिलाओं/ बालिकाओं का विवरण दर्ज किया जाएगा तथा उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु, फार्म इत्यादि भरवा कर संबंधित विभाग को भेजा जाएगा तथा विवरण कम्प्यूटराइज्ड कराकर अनुश्रवण किया जाएगा।

(2) प्रदेश स्तर पर इस कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में समिति बनाई जाती है। इस समिति में उपरोक्त समस्त विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव सदस्य रहेंगे तथा कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, **संयोजक** एवं अपर मुख्य सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, **सह-संयोजक** होंगे। अपर मुख्य सचिव, सूचना विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि जनपद व प्रदेश स्तर पर होने वाले प्रत्येक कार्यक्रमों का समाचार पत्रों से समन्वय करके समुचित प्रचार-प्रसार कराया जाएगा तथा मीडिया के अन्य संसाधनों यथा- टी0वी0, इलेक्ट्रानिक मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी समुचित प्रचार-प्रसार किया जाए।

(3) प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन समिति बनाई जाएगी, जिसमें सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य रहेंगे। मण्डलायुक्त प्रत्येक जनपद की पाक्षिक समीक्षा करते रहेंगे तथा जनपदों में समुचित पर्यवेक्षणीय नेतृत्व प्रदान करेंगे। उक्त समिति में स्थानीय मीडिया के प्रनिनिधियों को सूचना विभाग की सहमति से नामित किया जाएगा।

उपरोक्त अभियान को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त अपने स्तर से सभी विभागों के साथ समन्वय करके कार्यक्रम का पाक्षिक विवरण अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग उ0प्र0 शासन एवं अपर मुख्य सचिव सूचना विभाग उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत किया जाय।

भवदीय,

20.10.20

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-15
पत्र संख्या 781 /6पु-15-2020
लखनऊ दिनांक :20 अक्टूबर, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
5. समस्त जनपदीय नोडल अधकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

Scanned with CamScanner

शीर्ष प्राथमिक

संख्या–5128/सत्तर–3–2020–08(51)/20

प्रेषक,

मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

3. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

4. **विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी,**
राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक,
उच्च शिक्षा विभाग।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 16 अक्टूबर, 20**

विषयः–महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिये विशेष अभियान संचालित कि जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के संलग्न पत्र संख्या–957/6–पु–15–2020, दिन 15 अक्टूबर, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से महिलाओं एवं बालिक की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिये एक "विशेष अभियान" चलाये जाने एवं तदोपरान्त 3 तद्सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में यह अभियान आग शारदीय नवरात्र में दिनांक 17.10.2020 से प्रारम्भ होकर दिनांक 25.10.2020 तक की अवधि की कार्ययोज तैयार की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या–5120/सत्तर–2020–08(51)/2020, दिनांक 15.10.2020 द्वारा जारी कार्ययोजना में, निम्नलिखित तिथियों के अनु उल्लिखित कार्ययोजना को सम्मिलित करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें–

दिनांक 17.10.2020

जागरूकता कार्यक्रम का शुभारम्भ– प्रत्येक जनपद में विशेष अभियान का शुभारम्भ दिनांक 17.10.2020 मा0 प्रभारी मंत्रीगण द्वारा किया जायेगा एवं समस्त जनपदीय अधिकारियों द्वारा इस भव्य कार्यक्रम में शा होकर सभी विभागों का संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

दिनांक 20.10.2020

- विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा।
- छात्रों और अध्यापकों के लिये जागरूकता कार्यक्रम।
- बाल मनोविज्ञान के सम्बन्ध में समक्ष विकसित करना।

दिनांक 21.10.2020

- साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना।
- लैंगिक हिंसा की रोकथाम।

3– उच्च शिक्षा विभाग में विशेष अभियान के दौरान सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं के अतिरिक्त संस्थानों को भी सम्मिलित किया जायेगा एवं समस्त बालक–बालिकाओं की अभियान में सहभागिता अ सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु जनपद स्तर पर विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाये

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

16.x

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

Scanned with CamScanner

संख्या–5128 (1)/सत्तर–3–2020, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. श्री राजेश चतुर्वेदी, अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद को इस निर्देश के साथ कि कृपया श्री राजीव पाण्डेय, संयुक्त निदेशक तथा श्री अंशुमालि शर्मा, विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक से सम्पर्क करके प्रतिदिन की गतिविधियों के सम्बन्ध में प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार करके उपलब्ध करायें।
5. निदेशक, सूचना, उ0प्र0।
6. श्री अभिषेक सिंह, सूचना अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग।

आज्ञा से,

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

Scanned with CamScanner

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–5120 / सत्तर–3–2020–08(51) / 2020

प्रेषक,

मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

3. कुलसचिव
समस्त निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

4. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी,
राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ,
उच्च शिक्षा विभाग।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 15 अक्टूबर, 2020

विषय:– महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिये सम्पूर्ण प्रदेश में "मिशन शक्ति" संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि आगामी नवरात्र की शुभ तिथियों में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु दिनांक 17.10.2020 से 25.10.2020 तक महिलाओं एवं बालिकाओं की सहभागिता, सम्मान एवं आत्म सुरक्षा तथा पोक्सो एक्ट एवं महिला अपराध सम्बन्धी कानूनों का वृहद प्रचार–प्रसार के लिये एक विशेष अभियान संचालित किए जाने के निदेश प्राप्त हुए है तथा तदुपरान्त व्यापक स्वरूप प्रदान करते हुये महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान हेतु संचालित अभियान को शारदीय नवरात्र एवं वासन्तिक नवरात्र के मध्य निरन्तर जारी रखने के निदेश प्राप्त हुये है।

इस सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:– यथोक्त।

भवदीया,

15/x

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

Scanned with CamScanner

संख्या–5120 (1)/सत्तर–3–2020, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. श्री राजेश चतुर्वेदी, अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद को इस निर्देश के साथ कि कृपया श्री राजीव पाण्डेय, संयुक्त निदेशक तथा श्री अंशुमाली शर्मा, विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक से सम्पर्क करके प्रतिदिन की गतिविधियों के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार करके उपलब्ध करायें।
5. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
6. श्री अभिषेक सिंह, सूचना अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग।

आज्ञा से,

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)

विशेष सचिव।

o/c

Scanned with CamScanner

उच्च शिक्षा विभाग
मिशन शक्ति कार्ययोजना

1— शारदीय नवरात्र दिनांक 17—25 अक्टूबर हेतु कार्यक्रम

दिनांक 17.10.2020— अपरान्ह 3 से 5 बजे

उच्च शिक्षा विभाग से मिशन शक्ति का मेगा लान्च

- हर विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्व समस्त महाविद्यालयों के साथ वेबिनार आयोजित करके मिशन शक्ति उददेश्यों एवं रूपरेखा की जानकारी उन्हें दी जायेगी। विशेष अभियान के माध्यम से छात्रों व अध्यापकों के लिये जागरूकता कार्यक्रम एवं बाल मनोविज्ञान के संबंध में समझ विकसित किये जाने से संबंधित विषयों पर चर्चा की जायेगी।
- विषय विशेषज्ञों के सहयोग से शिक्षकों का अभिमुखीकरण किया जायेगा। विधि विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों एवं पुलिस अधिकारियों के सहयोग से साइबर सुरक्षा, लैंगिक हिंसा, घरेलू हिंसा, पाक्सो एक्ट, महिला हेल्पलाइन 1090, 108, 102, 112, 181, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या संबंधी एवं अन्य प्रचलित कानूनों के संबंध में जानकारी दी जायेगी।
- अभियान के दौरान NSS एवं NCC का सहयोग किस प्रकार लिया जाये, इसकी रूपरेखा भी तैयार की जायेगी।
- इस सत्र में सभी प्राध्यापकों जोकि अभिभावक भी हैं, द्वारा 'बालिका सुरक्षा शपथ' ली जायेगी, जिसका प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। (संलग्नक—1)
- साथ ही महाविद्यालयों के शिक्षकों को बताया जायेगा कि वर्ष के दौरान किस प्रकार उन्हे अपनी छात्राओं के साथ परामर्श सत्रों (Counselling sesions) का आयोजन करना चाहिये।

दिनांक 18 एवं 24 अक्टूबर 2020

- हर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा अपने छात्र—छात्राओं एवं उनके अभिभावकों के साथ उक्त तर्ज पर ही एक घण्टे के वेबिनार आयोजित किये जायेगें।
- इनमें महिला सुरक्षा एवं महिला सम्मान के प्राविधानों के विषय में जानकारी दी जायेगी।
- छात्रों को बालिका सुरक्षा शपथ दिलाई जायेगी कि वे महिलाओं एवं बालिकाओं का सम्मान करेंगे और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। शपथ संलग्नक—2 पर है।

Scanned with CamScanner

* इसी प्रकार अभिभावकों को भी संलग्नक–1 के अनुसार शपथ दिलाई जायेगी कि वे बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करेंगे।

दिनांक 19 से 23 अक्टूबर 2020

* हर विश्वविद्यालयं एवं महाविद्यालय प्रति दिन प्रातः 10 से 10.30 तक बालिकाओं के स्वास्थ्यवर्द्धन एवं पोषण के प्रति जागरूकता,विशेष रूप से कोविड–19 के दृष्टिगत इम्यून सिस्टम वर्द्धन हेतु सजग एवं जागरूक करने हेतु वेबिनार, व्याख्यानमालाओं एवं निबन्धं/स्लोगन/पोस्टर आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगें।
* विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय प्रत्येक दिन सायं 5 से 6 तक छात्राओं को आपातकाल में आत्मसुरक्षा हेतु प्रशिक्षण ऑनलाइन प्रदान करेंगें। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शारीरिक शिक्षकों/राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी/रोवर रेंजर्स प्रभारी/एन0सी0सी0 प्रभारी का सहयोग लिया जायेगा।
* दिनांक 16 एवं 17 अक्टूबर को मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ द्वारा जूम/यू–ट्यूब के माध्यम से दिया जायेगा। प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनरों द्वारा दिनांक 19–23 अक्टूबर के मध्य 10 लाख से अधिक छात्राओं को आत्मसुरक्षा हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षित किया जायेगा।

दिनांक 24 एवं 25 अक्टूबर, 2020

NCC एवं NSS के स्वयंसेवकों द्वारा महिला सुरक्षा एवं सम्मान से संबंधित प्राविधानों एवं योजनाओं के संबंध में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें और बालकों को एवं अभिभावकों को 'बालिका सुरक्षा शपथ' दिलाई जायेगी। NSS, भारत स्काउट एवं गाइड, NCC, युवामण्डल दल, स्कूल व कालेज की छात्र/छात्राओं की प्रतिभागिता एवं उन्हें साइबर सुरक्षा एवं लैंगिक हिंसा की रोकथाम के प्रति जागरूक किया जायेगा।

दिनांक 17–25 अक्टूबर, 2020 के मध्य संचालित मिशन शक्ति की गतिविधियों की रिपोर्ट प्रतिदिन उपलब्ध करायी जानी है। निदेशक, उच्च शिक्षा इसके प्रारूप विकसित करके सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को 15 अक्टूबर तक उपलब्ध करायेगें। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा अपलोड ई कन्टेन्ट के प्रारम्भ में 'मिशन शक्ति' के लोगो को प्रदर्शित किया जायेगां एवं बालिका सुरक्षा शपथ भी प्रदर्शित की जायेगी।

Scanned with CamScanner

2– महिला सुरक्षा एवं सम्मान हेतु अनवरत अभियान का कार्यक्रम

अभियान को और व्यापक स्वरूप प्रदान करते हुये महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान हेतु संचालित अभियान को शारदीय नवरात्र एवं वासन्तिक नवरात्र के मध्य निरन्तर जारी रखने एवं बीच–बीच में विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं, ताकि अधिकांश जनमानस को जागरूक किया जा सके। इस अभियान को इस रूप में गतिमान रखा जाना है जिससे शासन/प्रशासन के सामान्य कार्यकलाप प्रभावित न हों।

इस अवधि में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय हर सोमवार को 'बालिका सुरक्षा शपथ' दिलाना सुनिश्चित करेंगे और महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वास्थ्य/पोषण हेतु प्रचलित विधिक प्राविधानों एवं सरकारी योजनाओं पर चर्चा हेतु आधे घण्टे का सत्र आयोजित करेंगे।

परामर्श सत्रों (Counselling sesions)

प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में छात्राओं को निरन्तर परामर्श प्रदान करने हेतु व्यवस्था बनाई जायेगी। इस हेतु महिला प्राध्यापकों को नामित किया जायेगा, जो सप्ताह के निर्धारित एक दिन उनकी समस्याओं को सुनकर उनसे बातचीत करेंगी। इस हेतु यूनीसेफ, NSS काउंसलर्स के साथ–साथ जनपदों में तैनात socio-psycho counselors एवं मनोचिकित्सकों का सहयोग लिया जा सकता है।

अभियान की प्रगति की समीक्षा हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा प्रारूप विकसित करके 20 अक्टूबर तक उपलब्ध करायेगें । इस अवधि की साप्ताहिक समीक्षा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा तथा पाक्षिक समीक्षा निदेशालय स्तर पर की जायेगी और समीक्षा आख्या निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय शासन को हर माह की 1 एवं 16 तारीख को प्रेषित की जायेगी। शासन (अनुभाग–3) द्वारा मासिक प्रगति आख्या मुख्य सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, मा0 उप मुख्यमंत्री जी एवं मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ हर माह की 3 तारीख तक प्रेषित की जायेगी।

सामान्य निर्देश

1. मिशन शक्ति के पूरे अभियान हेतु निदेशालय स्तर पर डॉ0 राजीव पाण्डेय, संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं शासन स्तर पर डॉ0 अंशुमालि शर्मा, विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले जनपदों में नोडल अधिकारी नामित करेंगे तथा उक्त कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करेंगे।

Scanned with CamScanner

3. जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किये जायेंगे जो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के साथ भी समन्वय स्थापित करते हुये कार्यक्रमों को सफल बनाना सुनिश्चित करेंगे।
4. मिशन शक्ति के अन्तर्गत समाज में जागरूकता लाने महिला सुरक्षा एवं सम्मान हेतु संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रसार–प्रचार हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा कार्ययोजना तैयार करके उसका कियान्वयन कराया जायेगा।
5. विश्वविद्यालय एव महाविद्यालय अपनी गतिविधियों की प्रेस विज्ञप्ति स्थानीय तथा प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवायेंगे। व्हाट्सअप, ट्वीटर, फेसबुक,इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया हेन्डल पर अभियान का प्रचार प्रसार किया जायेगा। अच्छी सक्सेज स्टोरीज एवं आर्टिकिल्स का प्रकाशन किया जायेगा।
6. कार्यक्रम से सम्बन्धित डाक्यूमेंटेशन, आडियो, वीडियो, क्लीपिंग, पोस्टर, फोटोग्राफ एवं आख्या को क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी संकलित कर निदेशालय की ई–मेल० dhedegreevikas@gmail.com पर उपलब्ध करायेंगें।

Scanned with CamScanner

बालिका सुरक्षा शपथ

अभिभावकों द्वारा

भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में
मैं शपथ लेती/लेता हूँ
कि मैं अपने बेटे और बेटी में
किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूँगी/करूँगा।
मैं अपने बच्चों को बचपन से ही
जीवन के नैतिक मूल्य सिखाऊँगी/सिखाऊँगा।
और उन्हे सही और गलत का भेद
बताऊँगी/बताऊँगा
जिस प्रकार मैं अपनी बेटी को
स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने को
कहती/कहता हूँ
उसी प्रकार अपने बेटे को
अनुशासन में रखते हुए
उसकी भी दैनिक गतिविधियों का
पूरा ध्यान रखूँगी/रखूँगा।
जयहिन्द

Scanned with CamScanner

बालिका सुरक्षा शपथ

छात्रों द्वारा

भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में

मैं शपथ लेता हूँ कि

सदैव बालिकाओं व महिलाओं का सम्मान करूँगा

और उनके अधिकारों की सुरक्षा करूँगा।

मैं प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से

अपने कृत्यों,

शब्दों

तथा कर्मों से

किसी बालिका एवं महिला के अधिकारों एवं मर्यादा

का हनन नहीं होने दूँगा।

मैं शपथ लेता हूँ कि

मैं बालिकाओं एवं महिलाओं को

उनके विकास के लिए

समान अवसर प्रदान करने में

अपना पूरा योगदान दूँगा।

जयहिन्द

Scanned with CamScanner